पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

मि0न0 08/2026

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

1 जगदीप सिंह पुत्र सुखदेवसिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। वादी

बनाम्

1. सुखदेव सिह पुत्र मुखत्यारसिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मनप्रीत पुत्री मुखत्यारसिह पत्नी मानसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। प्रतिवादीगण

दिनांक 13/2/26

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:– क. वादी जगदीप सिह को चक नं० 1 एनडीआर के खाता सं0 66/90 में अंकित कुल 4.820 है0 में से प्रतिवादीसं0 1 सुखदेवसिंह के 1/144 हिस्सा व 61/144 हिस्सा तथा प्रतिवादीया सं0 2 मनप्रीत का 1/144 हिस्सा
ख. प्रतिवादी सं0 1 सुखदेवसिह को चकनं0 6 एस. एल.डबल्यू एस. एल. डबल्यू के खाता सं0 48/193 में अंकित कुल 4.807 है0 में से प्रतिवादीया स0 2 मनप्रीत के 1/64 हिस्सा की आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक नं० 1 एनडीआर के खाता सं0 66/90 में से प्रतिवादीगण सं0 1 सुखदेवसिह व प्रतिवादीया सं0 2 मनप्रीत का नाम कलमजन तथा चक नं0 6 एस.एल.डबल्यू के खाता सं0 48/193 मे से मनप्रीत का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/2/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।